**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1465**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**साइबर अपराधों के मामले**

**1465. श्री नारायण लाल पंचारियाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार के पास साइबर अपराध के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा है;**

**(ख) यदि हां, तो विशेषतः राजस्थान राज्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) निपटान किए गए मामलों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय सुकर बनाने हेतु साइबर अपराध समन्वय केन्द्र स्थापित किया है; और**

**(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क) से (ड.): जी, हां। राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो के पास उपलब्‍ध आंकड़ों के अनुसार, तीन वर्षों अर्थात 2018, 2017 और 2016 में रिपोर्ट किए गए साइबर अपराध के मामलों के राज्‍य-वार आंकडें राजस्‍थान समेत अनुलग्‍नक में दिए गए हैं।

साइबर अपराध से समन्वित और व्‍यापक तरीके से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों (एलईए) हेतु एक कार्य ढांचा और इको-सिस्‍टम उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से नई दिल्‍ली में भारतीय साइबर अपराध समन्‍वय केंद्र (आई4सी) की स्‍थापना की गई है। आई4सी स्‍कीम के निम्‍नलिखित सात घटक हैं:

1. राष्‍ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्‍लेषण यूनिट।
2. राष्‍ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।
3. संयुक्‍त साइबर अपराध जांच दल के लिए प्‍लेटफार्म।
4. राष्‍ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला ईको-सिस्‍टम।
5. राष्‍ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र।
6. राष्‍ट्रीय साइबर अपराध ईको-सिस्‍टम प्रबंधन यूनिट।
7. राष्‍ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र।

\*\*\*\*\*